उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-05/2018/एस-2-3252/दस-2017-127(2)/2016

लखनऊ :: दिनाँक:: 09 जनवरी, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-ख के पद साधारण वेतनमान रू0 8000-13500 (पुनरीक्षित वेतनबैण्ड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के चयन वर्ष 2015-16 (अनुपूरक चयन) में रिक्त पदों पर सहायक/उप कोषाधिकारी संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा चयन कराये जाने के संबंध में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में गठित चयन समिति की दिनाँक 01-11-2017 को सम्पन्न बैठक की संस्तुति उप सचिव, लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या-07(V)/03/ पी0/एस-5/2016-2017, दिनाँक 28-11-2017 द्वारा शासन मे प्राप्त हुई।

2- लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल सहायक/उप कोषाधिकारी संवर्ग वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 4800/- में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित 05 सहायक/उप कोषाधिकारियों को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-ख, वेतनबैण्ड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित पद/स्थान पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम@ वर्तमान पद/तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का पद/स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री श्रीराम दूबे सहायक/उप कोषाधिकारी, वाराणसी।	वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि, वाराणसी।	**चयन वर्ष 2015-16 (अनुपूरक चयन) की रिक्ति के सापेक्ष**
2	श्री ईश्वर चन्द्र सहायक/उप कोषाधिकारी, गोरखपुर	वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया।	--तदैव--
3	श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय सहायक/उप कोषाधिकारी, महराजगंज।	वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुशीनगर।	--तदैव--
4	श्री पुरूषोत्तम लाल सहायक/उप कोषाधिकारी, प्रतापगढ।	वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।	--तदैव--
5	श्री गनेशीलाल सहायक/उप कोषाधिकारी, आगरा ।	वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस।	--तदैव--

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanades.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- उक्त पदोन्नत अधिकारी, शासन एवं निदेशक कोषागार उ0प्र0 लखनऊ को अपना कार्यभार प्रमाणक प्रस्तुत करेंगे।

4- उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली,1992 (यथासंशोधित) के नियम 24 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 यथासंशोधित 2016 में प्राविधानित व्यवव्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

5- उक्त पदोन्नत अधिकारियों के सेवा संबंधी प्रकरण उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 यथासंशोधित एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों से आच्छादित होंगे।

संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-05/2018/एस-2-3252(1)/दस-2017, तददिनाँक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4- निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक कोषागार निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन/वित्तीय प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान/आंतरिक लेखा,उ0प्र0 लखनऊ।
7- जिलाधिकारी, देवरिया/वाराणसी/कुशीनगर/इलाहाबाद/हाथरस।
8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।
9- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया/वाराणसी/कुशीनगर/इलाहाबाद/हाथरस।
11- मुख्य चिकित्सा अधिकारी,हाथरस/कुशीनगर/देवरिया।
12- संयुक्त निदेशक, कृषि, वाराणसी।
13- संबंधित अधिकारीगण।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanades.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।